न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2019 (2019/00401)

कैलाश पुत्र शंकर जाति खाती निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
—प्रार्थी

बनाम

1.गिरीराज सिंह पुत्र सवाई जयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी कल्याण कोलोनी अजमेर रोड केकडी तहसील केकडी
2.बजरंग पुत्र चन्दा जाति कुमावत निवासी सलारी तहसील केकड़ी
3.तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
4.रसाली पत्नि उदा जाति गुजर
5.उदा पुत्र काना जाति गुजर
6.जगदीश पुत्र भैरू जाति गुजर
7.किशन पुत्र भैरू जाति गुजर
8.गोपाल पुत्र भैरू जाति गुजर
9.सुखलाल पुत्र भैरू जाति गूजर
निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री मगन लाल लौधा वकील— प्रार्थी
2. श्री हेमन्त जैन —वकील — अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री कालूराम गुजर वकील —अप्रार्थी संख्या 04 से 09
4. तहसीलदार केकड़ी — पैराकार सरकार अप्रार्थी संख्या 03

आदेश

दिनांक 27.08.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069—72 के खाता संख्या नया—पुराना 61—0 मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
61	0	333	0.8000	चाही 2 खड्डा

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम दर्ज है। इस आराजी पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। अतः [illegible] 310 रकबा 1.73 है0 तथा खसरा नंबर 308 की पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर [illegible] खसरा नंबर 308 की पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थी की आराजी [illegible] चौड़ा रास्ता दिलाया जाने की कृपा करे। प्रकरण श्रवणाधिकार [illegible] होने से दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और [illegible] हेमन्त जैन अभिभाषक,अप्राथी संख्या 04 से 09 की और से [illegible] कालूराम गूजर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की है जो संलगन पत्रावली की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया जिसको स्वीकार करने पर अप्रार्थी संख्या 04 से 09 को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.08.27 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब मे बताया कि कैलाश खाती के उक्त खेत का रास्ता जैसा उसने बताया वैसा कभी नहीं रहा है। कैलाश खाती ने उक्त खेत 10–11 वर्ष पूर्व रामेश्वर खाती पुत्र चतुर्भुज खाती से खरीदा था चतुर्भुज खाती के चार पुत्र भंवरलाल खाती,रामेश्वर खाती,शिवराज खाती व रामराज खाती है। यह पूरा खेत चारो भाईयों के पिता चतुर्भुज खाती के नाम दर्ज था,तथा इस खेत का एक भाग भवरलाल पुत्र चतुर्भुज के नाम है। भंवरलाल खाती के उक्त खेत से 50 मीटर की दूरी पर सलारी से नयागॉव जाने वाला रास्ता है। जो सीधा भंवरलाल खाती के खेत मे आता है,तथा वही रास्ता नयागावं जाने वाला रास्ता है जो सीधा भंवरलाल खाती के खेत मे आता है। तथा वही रास्ता अर्थात नयागांव वाला रास्ता ही कैलाश खाती के खेत वाला रास्ता है। प्रार्थी ने जिरा आराजीयात बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसकी वस्तुस्थिति को छिपाया गया है,तथा साथ ही साथ उसने यह कही वर्णित नहीं किया है कि उसने यह जमीन कहॉ से प्राप्त की है,तथा उसको बेचने वाला व्यक्ति कहॉ से आता जाता था। तथा उक्त तथ्य प्रार्थी की गलत रूप से अप्रार्थी के खेत मे गलत रूप से रास्ता निकालने के प्रयास को प्रकट करते है। अप्रार्थी के खेत मे आज दिनांक तक प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी के खेत पर लगभग 10 वर्षो से तारबन्दी हो रखी है,तथा स्वयं प्रार्थी अन्य रास्तो से ही होकर उसके ट्रेक्टर व अन्य व अन्य वाहनो से उसके खेत पर ले जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जवाब के साथ ही अपनी तारबंदी के फोटोग्राफ भी पेश किये है। जो उसके इन तथ्यों की पुष्टि करते है। प्रार्थी की नियत खराब है। तथा वह अवैध रूप से अप्रार्थी से उसकी जमीन को खराब कर उसे सस्ते मे खरीद करना चाहता है। इस कारण भी यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब मे बताया है कि प्रार्थी उसके खेत खसरा नंबर 333 रकबा 0.80 है0 पर आने जाने हेतु मुझ अप्रार्थी संख्या 02 की आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 0.80 है0 मे पश्चिमी मेड़ के सहार होकर प्रार्थी को 12 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने मे अप्रार्थी संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 04 लगायत 09 ने भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अंकित किये गये कथनो को दोहराया।

तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार द्वारा उनके पत्र कमांक / राजस्व / 2020 / 1684 दिनांक 05.08.2020 से प्रेषित की है। उसके मुताबिक प्रार्थी वर्तमान मे अपने खेत मे आवागमन खसरा नंबर 346,2638 / 346,345,2640 / 345, 329,321, 322,319,321,322,319,325,326,310,308 से कर रहा है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर ग्राम पंचायत सलारी का आबादी खसरा नंबर 347 तक स्वीकृत शुदा रास्ता मौके पर उपलब्ध है। प्रार्थी को अपने खेत मे आवागमन करने हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका देखकर पुनः रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार केकडी ने पुनः मौका रिपोर्ट उनके पत्र कमांक / भू.अ. / 2020 / 592 दिनांक 21.01.2021 से जवाब व मौका पर्चा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम सलारी मे प्रार्थी वर्तमान मे स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 347 के पश्चात खसरा नंबर 346,2638 / 346,345, 2640 / 345,329, 321,322,325 तक खातेदारो की सहमति से उपलब्ध मार्ग से आवागमन कर रहा है। इसके प्श्चात खसरा नंबर 326,310,308 मे मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता [illegible] 38 मे उपलब्ध है। खसरा नंबर 347 के पश्चात खसरा नंबर 346,2638 / [illegible] 45,2[illegible] / 345, 329,2626 / 329, 328,327 मे से रास्ता दिया जाना [illegible] संलग्न की है। पक्षकारान का जवाब प्रस्तुत होने व [illegible] की प्राप्ति होने पर प्रकरण मे बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.08.27 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के लायक वकील श्री मगन ला[illegible] सौधा ने बहस प्रारंभ करते हुए बताया कि वादी का खेत खसरा नंबर 333 रकबा 0.8000 चा.2 खड्डा प्रार्थी के नाम है। प्रार्थी को इस खेत मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 308 व 310 मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जावे। इसके लिए मैं नियमानुसार प्रतिकर राशि देने हेतु तैयार और तत्पर हूँ। प्रतिवादी के

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
कैलाश बनाम गिरीराज सिंह वगै0
अंतर्गत धारा 251 क राज.काश्त.अधि.
आदेश दिनांक 27.08.21

लायक वकील श्री कालूराम गूर्जर ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया प्रार्थी रास्ता खेतों का नही मांग रहे है अपितु घर का मांग रहे है। प्रार्थी की जमीन पुश्तैनी नहीं है,प्रार्थी ने रामेश्वर खाती से क्रय की है। खसरा नंबर 138 रिकार्डेड रास्ता है जो ग्राम नयागांव तक जाता है। खसरा नबर 305 मे इनका पुश्तैनी रामेश्वर से खरीदी है रामेश्वर के चार मे से एक भाई है।कैलाश खाती ने उक्त खेत 10–11 वर्ष पूर्व रामेश्वर खाती पुत्र चतुर्भुज खाती से खरीदा था चतुर्भुज खाती के चार पुत्र भंवरलाल खाती,रामेश्वर खाती,शिवराज खाती व रामराज खाती है। यह पूरा खेत चारो भाईयों के पिता चतुर्भुज खाती ने नाम दर्ज था,तथा इस खेत का एक भाग भवरलाल पुत्र चतुर्भुज के नाम है। भंवरलाल खाती के उक्त खेत से 50 मीटर की दूरी पर सलारी से नयागॉव जाने वाला रास्ता है। जो सीधा भंवरलाल खाती के खेत मे आता है,तथा वही रास्ता नयागावं जाने वाला रास्ता है जो सीधा भंवरलाल खाती के खेत मे आता है। तथा वही रास्ता अर्थात नयागांव वाला रास्ता ही कैलाश खाती के खेत वाला रास्ता है। खसरा नंबर 346 का रकबा 0.05 हैक्टर है तथा खसरा नंबर 345 का रकबा 0.04 है0 है। इन खसरा नंबरान मे से भी रास्ता दे दिया गया तो इनके पास कोई जमीन नहीं बचेगी,और काश्त करने के उद्देश्य से अनुपयोगी हो जावेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 के लायक अभिभाषक श्री हेमन्त जैन ने अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 09 के कथनो को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया अप्रार्थी संख्या 04 से 09 के विद्वान वकील ने बताया कि प्रार्थी ने उक्त खेत लगभग 10–11 वर्ष पूर्व रामेश्वर पुत्र चतुर्भुज खाती से खरीदा था/ चतुर्भुज खाती के 4 पुत्र भंवरलाल,रामेश्वर,शिवराज,व रामराज खाती है। इस खेत का एक भाग भंवरलाल पुत्र चतुर्भज खाती के पास है तथा भंवरलाल खाती उक्त खेत से 50 मीटर दूरी पर सलारी से नयागांव जाने वाले रास्ता है उसका उपयोग कर रहा है। प्रार्थी ने पूर्व मे जिस रास्ते से आवागमन था,उस रास्ते की मॉग नही की है। और उन संबंधित काश्तकारों को पक्षकार भी नही बनाया है। धारा 251 ए राज0काश्तकारी अधिनियम मे न्यायालय नया रास्ता जो पूर्व मे कभी नही रहा है। जिसे देना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी को नया दूसरी तरफ रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अप्रार्थी के अभिभाषक के इस तर्क मे बल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खसरा नंबर 333 रकबा 0.8000 है0 मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 310 रकबा 1.73 है0 व खसरा 308 रकबा 0.8000 है0 मे आने जाने हेतु रास्ता चाहे जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.08.27 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner